छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-6-2003
7-6-2003

क्रमांक एफ-14-2/03/(6)/11-6 .....राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी "छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम –2001" निम्नानुसार लागू करता है ।

1– उदेश्य :–

राज्य मे उद्यमियों को उनके पेटेन्ट व बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना दिनांक 1 नवम्बर 2001 से लागू की गई है ।

2– नियम :–

"ये नियम छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2001 " कहे जावेगें जो दिनांक 1 नवम्बर 2001 से प्रवृत्त हुए माने जायेंगे ।

3– कियान्वयन एजेन्सी :–

3.1– इस योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 (सी0एस0आई0डी0सी0) तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से होगा ।

3.2– छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 (सी0एस0आई0डी0सी0) के अन्तर्गत एक सुविधा कक्ष (फेसिलिटेशन सेल) का गठन किया जावेगा जो उद्यमियों को उनके पेटेन्ट एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रावधानों से संबंधित विषयों में उनकी सहायता करेगा तथा राज्य के उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को पेटेन्ट प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करेगा ।

3.3– योजन्तार्गत अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण संबधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा

4– पात्रता तथा अनुदान सीमा :–

4.1– इस योजनान्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय नियम / कानून के अंतर्गत अपने शोध कार्य / अविष्कार पर पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु किसी संगठन, संस्था, व्यक्ति अथवा औद्योगिक इकाई द्वारा किये गये व्यय का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया जावेगा ।

4.2– यह अनुदान प्रति संस्था / व्यक्ति / औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पादन / प्रकिया पर केवल एक बार दिया जावेगा ।

4.3– योजनांतर्गत केवल स्वीकृत पेटेन्ट को ही अनुदान की पात्रता होगी ।

4.4– अनुदान की शर्तो की पूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाईयां, संस्थाओं, संगठनों को अनुदान प्राप्ति हेतु अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवश्यकतानुसार संबंधित विषय पर उपलब्ध विशेषज्ञों अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं से व्यय के सत्यापन पश्चात अनुदान राशि स्वीकृत कर सकेंगें ।

4.5– पेटेन्ट प्राप्ति के सबंध में किये गये व्ययों में, यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन/मोबाईल / पत्राचार पर हुए व्ययों का, समावेश अनुदान राशि की गणना हेतु नही किया जावेगा ।

5– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की वसूली :–

यदि यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गयें है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि एकमुश्त वसुली योगय हो जावेगी जिसकी वसुली भू–राजस्व की वसूली के अनुसार की जा सकेगी ।

6– **नियमों की व्याख्या :–**

अनुदान की पात्रता नियमों की व्याख्या या अन्य विवादों की स्थिति में राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं इकाई के लिए बंधनकारी होगा ।

7– **अपील :–**

महाप्रबंधक, द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को 30 दिवस के अंदर अपील की जा सकेगी, अपील पर निर्णय यथासंभव 60 दिवस में किया जायेगा ।

इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा

8– **फेसिलिटेशन सेल :–**

8.1– छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 (सी0एस0आई0डी0सी0) के कार्यालय में एक सुविधा प्रकोष्ठ (फेसिलिटेशन सेल) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1–	उद्योग आयुक्त	अध्यक्ष
2–	रविशंकर विश्वविधालय रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक एक प्रतिनिधि	सदस्य
3–	कृषि विश्वविधालय द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक एक प्रतिनिधि	सदस्य
4–	अपर संचालक, उद्योग संचालनालय	सदस्य
5–	छत्तीसगढ उद्योग महासंघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6–	छत्तीसगढ लघु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7–	लघु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
8–	प्रबंध संचालक,सी0एस0आई0डी0सी0	सदस्य सचिव

आवश्कतानुसार किसी अन्य विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा ।

8.2– फेसिलेटेशन सेल का प्रभारी अधिकारी महाप्रबंधक सी0एस0आई0डी0सी0 होगा जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप संचालक स्तर से कम का अधिकारी न होगा ।

8.3– फेसिलिटेशन सेल में तकनीकी पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि के सबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिर्वतनों की जानकारी रखी जावेगी ।

8.4– फेसिलिटेशन सेल की बैठक 3 माह में एक बार अवश्य होगी ।

8.5– फेसिलिटेशन सेल संबधी व्यय सी0एस0आइ0डी0सी0 द्वारा वहन किया जावेगा ।

9– योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर